न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक (राज0)

पीठासीन अधिकारी अनिता कुमारी खटीक (आर.ए.एस.) द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या—34 / 2023
प्रकरण प्रविष्टि दिनांक—20.06.2023
निर्णय दिनांक—06.12.2024

[illegible] सिंह दत्तक पुत्र मोहन सिंह (प्राकृतिक पिता नारायण सिंह) जाति राजपूत निवासी ग्राम हनोतियां तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)

प्रार्थीगण

बनाम

तहसीलदार पीपलू जिला टोंक (राज0)

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र इन्द्राज दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट

निर्णय

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं की भूमि आराजी ख0न0 25 रकबा 0.2529 हैक्ट. वाके ग्राम हनोतियां, पटवार हल्का जंवाली तह0 पीपलू जिला टोंक राज. में स्थित है। प्रार्थी के प्राकृतिक पिता का नाम नारायण सिंह है। किन्तु प्रार्थी को मोहनसिंह जी द्वारा गोद लिया गया था। जिसका रजिस्टर्ड गोदनामा प्रार्थी के हक में निष्पादित है, जो आवेदन के साथ संलग्न है। प्रार्थी के समस्त दस्तावेज में गोदपुत्र के रूप में दत्तक पिता मोहनसिंह का नाम दर्ज है। केवल उक्त वर्णित खातेदारी की आराजीयात में पुत्र के रूप में प्रार्थी के प्राकृतिक पिता नारायण सिंह का नाम दर्ज है। इस कारण प्रार्थी अपनी उक्त वर्णित खातेदारी की आराजीयात में अपने दत्तक पिता मोहनसिंह का नाम अंकित करवाना चाहता है। प्रार्थी की उक्त जमाबंदी के अतिरिक्त शेष दस्तोवज एवं जमाबंदीयो में दत्तक पिता मोहन सिंह का नाम अंकित है। प्रार्थी उक्त वर्णित आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड में प्राकृतिक पिता नारायण सिंह का नाम दर्ज होने की वजह से प्रार्थी राज्य सरकार द्वारा मिलने वाले लाभो से वंचित हो रहा है। इस कारण राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के दर्ज प्राकृतिक पिता नारायण सिंह के साथ दत्तक पुत्र मोहनसिंह दर्ज किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। अतः आवेदन दुरूस्ती इन्द्राज प्रस्तुत कर निवेदन है की प्रार्थी का आवेदन स्वीकार फरमाया जाकर उक्त वर्णित आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के प्राकृतिक पिता नारायण सिंह के साथ दत्तक पुत्र मोहनसिंह दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with ACE Scanner

पत्रावली दर्ज पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी तहसीलदार पीपलू की गई तथा अप्रार्थी तहसीलदार पीपलू से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त की गई है। तहसीलदार पीपलू ने तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया की आराजी ख0न0 25 रकबा 0.2908 हैक्ट. वाके ग्राम हनोतिया मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड के चालू जमाबंदी संवत् 2072–75 के खाता संख्या 22 के अनुसार गिरधारी सिंह पुत्र नारायण सिंह सा.देह खातेदार के नाम राजस्व रिकॉर्ड दर्ज है। यह की प्रार्थी के प्राकृतिक पिता का नाम नारायण सिंह है और प्रार्थी रजिस्टर्ड गोदनामे से गोदपुत्र के रूप में दत्तक पिता मोहनसिंह के नाम गये है। जिसकी गोदनामे की प्रतिलिपी संलग्न है। इस संबंध में ग्राम हनोतिया का नामान्तकरण संख्या 118 दिनांक 11.03.1983 के अनुसार उक्त वर्णित भूमि सिवायचक भूमि में से गिरधारी सिंह पुत्र नारायण सिंह गैर खातेदार के नाम आंवटित हुई थी, जो वर्तमान जमाबंदी संवत् 2072–75 के खाता संख्या 22 में आज दिनांक तक इसी नाम से दर्ज रिकॉर्ड है। जबकि ग्राम हनोतिया के वर्तमान जमाबंदी खाता संख्या 21 में खातेदार का नाम गिरधर सिंह दत्तक पुत्र मोहन सिंह सा.देह खातेदार है, जो की गोदनामे के अनुसार आ रहा है। इस प्रकार गिरधारी सिंह पुत्र नारायण सिंह सा. देह खातेदार व गिरधर सिंह दत्तक पुत्र मोहनसिंह सा.देह खातेदार दोनो एक ही व्यक्ति है। उक्तानुसार रिपोर्ट श्रीमान् की सेवा में सादर प्रेषित है।

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट पर बहस का निवेदन किया। बहस उभयपक्ष सुनी। अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस प्रा0पत्र में अंकित तथ्यों का दोहरान करते हुए बताया की भूमि आराजी ख0न0 25 रकबा 0.2529 हैक्ट. वाके ग्राम हनोतियां, पटवार हल्का जंवाली तह0 पीपलू जिला टोंक राज. में स्थित है। प्रार्थी के प्राकृतिक पिता का नाम नारायण सिंह है। किन्तु प्रार्थी को मोहनसिंह जी द्वारा गोद लिया गया था। जिसका रजिस्टर्ड गोदनामा प्रार्थी के हक में निष्पादित है, जो आवेदन के साथ संलग्न है। प्रार्थी के समस्त दस्तावेज में गोदपुत्र के रूप में दत्तक पिता मोहनसिंह का नाम दर्ज है। केवल उक्त वर्णित खातेदारी की आराजीयात में पुत्र के रूप में प्रार्थी के प्राकृतिक पिता नारायण सिंह का नाम दर्ज है। इस कारण प्रार्थी अपनी उक्त वर्णित खातेदारी की आराजीयात में अपने दत्तक पिता मोहनसिंह का नाम अंकित करवाना चाहता है। प्रार्थी की उक्त जमाबंदी के अतिरिक्त शेष दस्तोवज एवं जमाबंदीयो में दत्तक पिता मोहन सिंह का नाम अंकित है। प्रार्थी उक्त वर्णित आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड में प्राकृतिक पिता नारायण सिंह का नाम दर्ज होने की वजह से प्रार्थी राज्य सरकार द्वारा मिलने वाले लाभो से वंचित हो रहा है। इस कारण राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के दर्ज प्राकृतिक पिता नारायण सिंह के साथ दत्तक पुत्र मोहनसिंह दर्ज किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। अतः आवेदन दुरूस्ती इन्द्राज प्रस्तुत कर निवेदन है की प्रार्थी का आवेदन स्वीकार फरमाया जाकर उक्त वर्णित आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के प्राकृतिक पिता नारायण सिंह के साथ दत्तक पुत्र मोहनसिंह दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

अप्रार्थी ने अपनी बहस में बताया की आराजी ख0न0 25 रकबा 0.2908 हैक्ट. वाके ग्राम हनोतिया मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड के चालू जमाबंदी संवत् 2072–75 के खाता संख्या 22 के अनुसार गिरधारी सिंह पुत्र नारायण सिंह सा.देह खातेदार के नाम राजस्व रिकॉर्ड दर्ज है। यह की प्रार्थी के प्राकृतिक पिता का नाम नारायण सिंह है और प्रार्थी रजिस्टर्ड गोदनामे से गोदपुत्र के रूप में दत्तक पिता मोहनसिंह के नाम गये है। जिसकी

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with ACE Scanner

गोदनामे की प्रतिलिपि संलग्न है। इस संबंध में ग्राम हनोतिया का नामान्तरकरण संख्या 118 दिनांक 11.05.1983 के अनुसार उक्त वर्णित भूमि सिवायचक भूमि में से गिरधारी सिंह पुत्र नारायण सिंह गैर खातेदार के नाम आवंटित हुई थी, जो वर्तमान जमाबंदी संवत् 2072–75 के खाता संख्या 22 में आज दिनांक तक इसी नाम से दर्ज रिकॉर्ड है। जबकि ग्राम हनोतिया के वर्तमान जमाबंदी खाता संख्या 21 में खातेदार का नाम गिरधर सिंह दत्तक पुत्र मोहन सिंह सा.देह खातेदार है, जो की गोदनामे के अनुसार आ रहा है। इस प्रकार गिरधारी सिंह पुत्र नारायण सिंह सा. देह खातेदार व गिरधर सिंह दत्तक पुत्र मोहनसिंह सा.देह खातेदार दोनों एक ही व्यक्ति है।

हमने पत्रावली व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, संलग्न गोदनामा, सशपथ शपथ पत्र गिरधारी सिंह पुत्र नारायण सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम हनोतियां तह0 पीपलू, जमाबंदी संवत् 2072–75 के खाता संख्या 20 वाके ग्राम हनोतियां व तहसीलदार पीपलू द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन एवं उपलब्ध की गई पर ध्यान किया गया। उक्त अवलोकन से स्पष्ट है की प्रार्थी गिरधर सिंह द्वारा मोहनसिंह पुत्र कल्याण सिंह के गोद जाना स्पष्ट है। जिसके अनुसार प्रार्थी का शुद्ध एवं वास्तविक नाम गिरधर सिंह दत्तक पुत्र मोहनसिंह जाति राजपूत है। जबकि राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम गिरधारी सिंह पुत्र नारायण सिंह जाति राजपूत दर्ज रिकॉर्ड है, जो त्रुटिपूर्ण है। प्रार्थी का शुद्ध एवं वास्तविक नाम गिरधर सिंह दत्तक पुत्र मोहनसिंह जाति राजपूत है। अतः उक्त वर्णित आराजीयात ख0न0 25 रकबा 0.2529 हैक्ट. वाके ग्राम हनोतियां, पटवार हल्का जवाली के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज त्रुटिपूर्ण नाम **गिरधारी सिंह पुत्र नारायण सिंह** के स्थान पर **"गिरधर सिंह दत्तक पुत्र मोहनसिंह"** दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। निर्णय आज दिनांक 06.12.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं नियमानुसार दफ्तर दाखिल हो।

(सुनिता ... टीक)
उपखण्ड अधिकारी पीपलू
जिला टोंक (राज0)

Scanned with ACE Scanner